17/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रीकेश अनुपस्थित। न्यायालयसमय में रनक-रनक कर आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व आदेशिकाओं के अनुसार तलबी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं अंतिम अवसर प्रदान करने के बावजूद तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। अतः न्यायालय अधिनियम आदेश-9 नियम 3 व 5 में वाद खारिज करना उचित समझा है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद वकील वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़